श्रीमान् अंचलाधिकारी

K.Gupta कोडरमा अंचल।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में।

27/01/23

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं राम देई देवी पति इन्द्रदेव प्रसाद

ग्राम देवी आश्रम रोड पो० झुमरी तिलैया थाना तिलैया

जिला झुमरी तिलैया का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित भूमि का विक्री करना है :–

1. मौजा ~~[illegible]~~ रुमो
2. थाना तिलैया
3. थाना नं0 12
4. खाता नं0 222
5. प्लॉट नं0 ~~5081~~ 5861
6. रकवा 0 5510
7. भूमि का किस्म रैयति
8. अद्यतन रसिद नं0 0440896420 दिनांक 28112022
9. दा0 खारजि वाद संख्या 859/91-92

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि में निबंधन (रजिस्ट्री) हेतू सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मै श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा।

विश्वासभाजन

रामदेई देवी

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या 163/2023

20.03.2023

आवेदिका रामदेई देवी पति श्री इन्द्रदेव प्रसाद, साकिन–देवी मण्डप रोड़, पोस्ट–झुमरी तिलैया, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
गुमो	12	222	5861	5 डी0	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 28/03/2023 को प्रस्तुत करें।

20/03/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

28.03.2023

08.04.2023

अभिलेख उपस्थापित

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता सं0–222, प्लॉट सं0–5861, रकवा–10 डी0 भूमि पंजी–II के पृष्ठ संख्या–16/15 पर श्री इन्द्रदेव प्रसाद पिता नारायण प्रसाद के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में दा0 खा0 वाद सं0–859/1991–92 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं0–8766 दिनांक 01.11.1988 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या–20 दिनांक 09.12.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता सं0–222, प्लॉट सं0–5861, रकवा–5 भूमि निबंधन योग्य है। भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

08/04/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.09.16 13:49:58 +05:30
Location: 192.168.29.246